बालाकोट हमले के बाद लागू हवाई क्षेत्र की पाबंदियां खत्म कीं भारत ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, एक जून।

पाकिस्तान को व्यावसायिक विमानन सेवाओं के लिए हवाई क्षेत्र खोलने का संकेत देते हुए भारतीय वायु सेना ने शनिवार को एलान किया कि बालाकोट हमले के बाद भारतीय हवाई क्षेत्र पर लगाई गईं सारी अस्थाई पाबंदियां हटा दी गई हैं। भारतीय हवाई क्षेत्र में सभी हवाई मार्गों पर लगी अस्थाई पाबंदियों को हटाने के भारत के फैसले के अनुरूप पाकिस्तान भी भारत के साथ लगी अपनी पूर्वी सीमा पर हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध को हटा देगा।

बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर भारतीय वायुसेना के हमले के बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के वाणिज्यिक विमानों के लिए अपने-अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए थे। भारतीय वायु सेना ने ट्विटर पर शुक्रवार को एलान किया, 'भारतीय वायु सेना द्वारा 27 फरवरी को भारतीय हवाई क्षेत्र में सभी हवाई मार्गों पर लगाई गई अस्थाई पाबंदियों को हटा दिया गया है।' भारत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, 'भारत सरकार पाकिस्तान की उड़ानों पर लगी हवाई पाबंदियां हटा लेगी तो पाकिस्तान भी हवाई पाबंदियों को हटा सकता है।'

पाक भी हटाएगा पाबंदियां

पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने हाल में अपने हवाई क्षेत्र को बंद रखने की अवधि 14 जून तक बढ़ा दी थी। पाकिस्तान ने 27 फरवरी को अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था। हालांकि, उसने 27 मार्च को नई दिल्ली, बैंकॉक और कुआलालंपुर को छोड़कर सभी उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को खोल दिया था।

विकास बहल को यौन उत्पीड़न मामले में क्लीन चिट

मुंबई, 1 जून (भाषा)।

फिल्म निर्माता विकास बहल को रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा की गई आंतरिक जांच में यौन उत्पीड़न के मामले में क्लीन चिट मिल गई है। रिलायंस एंटरटेनमेंट उनकी अगली फिल्म 'सुपर 30' की निर्माता कंपनी है। 'क्वीन' के निर्देशक पर अब बंद हो चुकी फैंटम फिल्म्स की एक पूर्व कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी के साथ बहल इस फिल्म कंपनी के साझेदारों में से एक थे।

रिलायंस एंटरटेनमेंट के समूह मुख्य कार्याधिकारी शिवाशीष सरकार ने कहा कि आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) की रिपोर्ट में बहल को आरोपमुक्त कर दिया गया है। सरकार ने एक बयान में कहा, 'हां, यह सच है कि आइसीसी समिति की रिपोर्ट में विकास को आरोपमुक्त कर दिया गया है। आइसीसी द्वारा विकास बहल को क्लीन चिट दिए जाने से अब हमारे पास उन्हें सुपर 30 के निर्देशक के रूप में श्रेय देने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है।' यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब कश्यप 'सुपर 30' के निर्माण बाद का काम देखने को सहमत हो गए थे। फिल्म में रितिक रोशन मुख्य भूमिका में हैं।

आरोपमुक्त होने के बाद बहल को मिलेगा फिल्म 'सुपर 30' के निर्देशक के रूप में श्रेय

बहल के वकील हितेश जैन ने कहा कि क्लीन चिट ने सब कुछ साफ कर दिया है। जैन ने कहा, 'कहानी खत्म हो गई है। मैं खुश हूं कि उन्हें (बहल) आरोपमुक्त कर दिया गया है।' बहल ने कश्यप और मोटवानी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था और कहा था कि उन्होंने उनके खिलाफ निराधार तथा मानहानिकारक आरोप लगाए, जिससे उन्हें अपूरणीय क्षति हुई है।

पर्यटक गाइड ने जान देकर लिद्दर नदी से पांच लोगों की बचाई जान

श्रीनगर, 1 जून (भाषा)।

कश्मीरियत की मिसाल पेश करते हुए एक पर्यटक गाइड ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के प्रसिद्ध पहलगाम रिसोर्ट में लिद्दर नदी से पश्चिम बंगाल के दो पर्यटक सहित पांच लोगों को बचाने के लिए जान दे दी। पर्यटकों की नौका लिद्दर नदी में अचानक तेज हवाओं के झोंके में फंसने के बाद मावुरा के समीप पलट गई। पंजीकृत पेशेवर गाइड रउफ अहमद डार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में छलांग लगा दी। श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर पहलगाम में शुक्रवार शाम को जब यह घटना हुई, उस समय नौका में तीन स्थानीय लोग और पश्चिम बंगाल का एक दंपति सवार था। राज्यपाल ने पर्यटक गाइड के परिजन को पांच लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का एलान किया।

प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से अधिकारियों ने बताया कि पर्यटक गाइड के तौर पर दंपति के साथ मौजूद डार ने देखा कि वे लोग डूब रहे हैं तो उसने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगा दी और उन्हें बचा लिया। इसके तुरंत बाद खोज व बचाव अभियान शुरू किया गया और राज्य आपदा त्वरित बल की टीमों ने पुलिस व स्थानीय लोगों के साथ मिलकर खोज अभियान चलाया। शुक्रवार देर रात तक तलाश जारी रही, लेकिन अंधेरे के कारण अभियान रोकना पड़ा। उन्होंने बताया कि बहादुर पर्यटक गाइड का शव भवानी पुल के समीप शनिवार सुबह बरामद किया गया और औपचारिकताओं के बाद उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया।

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पांच पर्यटकों की जान बचाने, उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले रऊफ अहमद डार की बहादुरी को सलाम किया और उनके परिजन को पांच लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का एलान किया।

मणिपुर के मोरेह में नौ रोहिंग्या गिरफ्तार

इंफल, 1 जून (भाषा)।

मणिपुर के तेंग्नौपल जिले में भारत-म्यांमा सीमा के पास स्थित मोरेह शहर से नौ रोहिंग्यों को फर्जी आधारकार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) विक्रमजीत ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने फर्जी आधारकार्ड रखने के आरोप में 27 मई को तेंग्नौपल चौकी से दो महिलाओं समेत चार रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया।

एसपी ने बताया कि पुलिस ने 28 मई को मोरेह शहर में एक होटल से तीन महिलाओं समेत पांच अन्य रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि जांच में खुलासा हुआ कि ताहिर अली एक रोहिंग्या है और उसने स्थानीय मणिपुरी महिला से विवाह किया था और वह इन विदेशियों को अवैध तरीके से देश के अंदर लाने के प्रबंधों में शामिल था।

पुलिस ने कहा कि अली को शुक्रवार थौबल जिले से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि ताहिर अली को छोड़कर ये सभी फर्जी आधारकार्ड लेकर राज्य की राजधानी से सीमाई शहर आए थे। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार रोहिंग्या न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी बोलना जानते हैं, जिसके कारण उनसे बात करने में परेशानी आ रही है। उन्होंने बताया कि वे भारत में कैसे घुसे और फर्जी आधारकार्ड उन्हें कैसे मिला, इस बारे में पता लगाया जा रहा है।

रसायन व पेट्रोलियम मंत्रालय में नए सचिव की तैनाती

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

केंद्र सरकार के रसायन व पेट्रोलियम मंत्रालय में शनिवार को नए सचिव की तैनाती की गई है। आदेशों के मुताबिक विभाग के सचिव का कार्यभार वरिष्ठ भारतीय सिविल सेवा (आईएएस) अधिकारी पी. राघवेंद्र राव संभालेंगे। राघवेंद्र राव 1985 बैच के अधिकारी हैं। इन्हें इस विभाग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इस बाबत कैबिनेट की नियुक्ति समिति के सचिव पीके त्रिपाठी ने आदेश जारी किए।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा
चतुर्थ तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

संदर्भ : हमारी क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, नई दिल्ली में
ऋण खाता : मे. ओम प्रकाश दीपक कुमार
इरादतन चूककर्ता" (विलफुल डिफ़ाल्टर) की फोटो प्रकाशन

दीपक मित्तल

एततद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक के / आर. बी. आई. के वर्तमान नियमों तथा विनियमों के निबंधनों में, उनमें निर्धारित सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये, निम्नलिखित व्यक्तियों को "इरादतन चूककर्ता" (विलफुल डिफ़ाल्टर) घोषित किया है।

1. मे. ओम प्रकाश दीपक कुमार
2. श्री दीपक मित्तल पुत्र स्व . श्री ओम प्रकाश मित्तल
प्रोप . मे. ओम प्रकाश दीपक कुमार

बैंक कर्जदार / गारंटर को बैंक द्वारा उनको "इरादतन चूककर्ता" (विलफुल डिफ़ाल्टर) घोषित किए जाने के निर्णय की जानकारी हेतु उपयुक्त सूचना प्रेषित कर चुका है ।
जैसे कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है, बैंक सर्वसाधारण के सूचनार्थ "इरादतन चूककर्ता" (विलफुल डिफ़ाल्टर) की फोटो प्रकाशित कर रहा है।

तिथि : 02.06.2019 — बैंक ऑफ बड़ौदा, मुख्य प्रबंधक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा
चतुर्थ तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

संदर्भ : हमारी क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, नई दिल्ली में
ऋण खाता : मे. मनीष पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़
इरादतन चूककर्ता" (विलफुल डिफ़ाल्टर) की फोटो प्रकाशन

मनीष गुप्ता

एततद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक के / आर. बी. आई. के वर्तमान नियमों तथा विनियमों के निबंधनों में, उनमें निर्धारित सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये, निम्नलिखित व्यक्तियों को "इरादतन चूककर्ता" (विलफुल डिफ़ाल्टर) घोषित किया है ।

1. मे. . मनीष पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़
2. श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री राम लाल गुप्ता
प्रोप . मे. . मनीष पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़

बैंक कर्जदार / गारंटर को बैंक द्वारा उनको "इरादतन चूककर्ता" (विलफुल डिफ़ाल्टर) घोषित किए जाने के निर्णय की जानकारी हेतु उपयुक्त सूचना प्रेषित कर चुका है ।
जैसे कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है, बैंक सर्वसाधारण के सूचनार्थ "इरादतन चूककर्ता" (विलफुल डिफ़ाल्टर) की फोटो प्रकाशित कर रहा है।

तिथि : 02.06.2019 — बैंक ऑफ बड़ौदा, मुख्य प्रबंधक

अनुसूची ।।
प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
(इन्सॉल्वैन्सी एंड बैंकरप्सी (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12)
मोज़र बेयर सोलर लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1.	कार्पोरेट ऋणधारक का नाम	मोज़र बेयर सोलर लिमिटेड
2.	कार्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	06-03-2007
3.	यह प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत है	कम्पनयों के रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U74999DL2007PLC160162
5.	कार्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: 43-बी, ओखला औद्योगिक ईस्टेट, नई दिल्ली-110020 प्रधान कार्यालय : 66बी, एसईजेड उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (यू.पी)
6.	इन्सॉल्वैन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समाप्त होने की तिथि	30-05-2019
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	30-05-2019
8.	परिसमापक के रूप में इन्सॉल्वैन्सी प्रोफेशनल का नाम एवं पंजीकरण संख्या	नाम: अरविन्द गर्ग आई पी पंजीकरण नं: IBBI/IPA-003/IP-N00029/2017-2018/10189
9	बोर्ड के पास पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ई-मेल	पता: 302-ए, पालमोहन प्लाजा, देशबंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 पंजीकृत ईमेल: arvindgarg31@gmail.com
10	परिसमापक के साथ पत्राचार हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला पता एवं ईमेल	पता: 302-ए, पालमोहन प्लाजा, देशबंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 पत्राचार हेतु ईमेल: moserbaer.arvind@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	01-07-2019

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान बेंच, नई दिल्ली ने 30.05.2019 को मोज़र बेयर सोलर लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।
मोज़र बेयर सोलर लिमिटेड के स्टेक धारकों को आह्वान किया जाता है कि ऊपर मद 10 के समक्ष वर्णित पते पर परिसमापक के पास 01.07.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे प्रमाण सहित जमा करें।
वित्तीय क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी स्टेकधारक व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

दिनांक: 02.06.2019
स्थान : नई दिल्ली

परिसमापक का नाम एवं हस्ताक्षर:
अरविन्द गर्ग

परीक्षा फिन-इन्वेस्ट-लीज लिमिटेड
[कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L74899DL1994PLC057377]
पंजी. कार्यालय : 7सी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली- 110017
फोन नंबर : 0120 - 4193799, 4152766
वेबसाइट : www.pfil.in, ई-मेल : pariksha.delhi@gmail.com

26वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-मतदान तथा बही बंदी की सूचना

एजीएम की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 26वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का आयोजन एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय के निष्पादन के लिए शुक्रवार 28 जून, 2019 को किया जाएगा।

26वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन तथा उपस्थिति पर्चियों की प्रतियां उन समस्त सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से पहले ही प्रेषित की जा चुकी हैं, जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन तथा उपस्थिति पर्चियों की वास्तविक प्रतियां उन समस्त अन्य सदस्यों को उनके पंजीकृत पतों पर प्रेषित की जा चुकी हैं, जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं हैं। कंपनी वार्षिक प्रतिवेदन के प्रेषण के साथ-साथ सदस्यों को ई-मेल से वार्षिक प्रतिवेदन भेजने का कार्य भी शनिवार, 01 जून, 2019 को पूर्ण कर चुकी है। 26वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pfil.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

ई-मतदान

कंपनी अपने सदस्यों को, अद्यतन संशोधितानुसार कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली,2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के संबंध में सूचना में निर्धारित समस्त प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा अपना मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराकर हर्षित है। ई-मतदान अवधि का प्रारंभ मंगलवार 25 जून, 2019 को प्रातः 9.00 बजे तथा समापन गुरुवार 27 जून, 2019 को सायं 5.00 बजे होगा। ई-मतदान माड्यूल गुरुवार 27 जून, 2019 को सायं 5.00 बजे के उपरान्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा वार्षिक सामान्य बैठक में मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान करने के लिए योग्य हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि सूचना के प्रेषण के उपरान्त कंपनी के सदस्य बनते हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा admin@skylinerta.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन विवरण प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवार 27 जून, 2019 को सायं 5 बजे के उपरान्त इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से मतदान की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध होगी तथा ऐसे सदस्यगण जो एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने ई-मतदान के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, वे मतपत्र के माध्यम से एजीएम में अपन मतदान करने हेतु योग्य होंगे। ऐसे सदस्यगण जो कि ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर चुके हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु वे पुनः मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि, शुक्रवार, 21 जून, 2019 के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में अथवा सदस्यों की पंजिका में अभिलेखित है, वह ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के साथ-साथ एजीएम में मतदान करने के लिए हकदार होगा। सदस्यों से अपेक्षित है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में दी गई ई-मतदान की निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान करने के लिए अपनी लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग करें। ई-मतदान से संबंधित किसी पूछताछ के लिए आप www.evotingindia.com के डाउनलोड्स सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों हेतु ई-मतदान प्रयोक्ता पुस्तिका तथा सदस्यों हेतु फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेशचन्स (एफएक्यू) का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा श्री हरनन्द त्यागी, निदेशक, 7सी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, दूरभाष सं. 0120-4193799 से अथवा ई-मेल pariksha.delhi@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बही बंदी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित उसकी धारा 91 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर हस्तांतरण पुस्तिकाएं इस एजीएम के उद्देश्य हेतु शनिवार 22 जून, 2019 से शुक्रवार 28 जून, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
वास्ते परीक्षा फिन-इन्वेस्ट-लीज लिमिटेड
हस्ता./-
(हरनंद त्यागी)
निदेशक

तिथि : 01 जून, 2019
स्थान : नई दिल्ली

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
जेडओएसएआरबी, 9वाँ तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-23448841, मो.- 9584317482, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

सार्वजनिक सूचना

संदर्भः एनपीए खाता मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज़ लि. शाखा : जेडओएसएआरबी शाखा, नई दिल्ली, जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता की फोटो प्रकाशन
जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को बैंक / रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित किया गया है।

नामः
1. मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज़ लि.
2. श्री मनीष जैन

बैंक ने उक्त व्यक्तियों को जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित करने के निर्णय सम्बंधी उपयुक्त संचार भेजा था।
रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार जनसाधारण की सूचना के लिए बैंक जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता की फोटोग्राफ प्रकाशित करता हैं।

मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा

अपहृत की तलाश

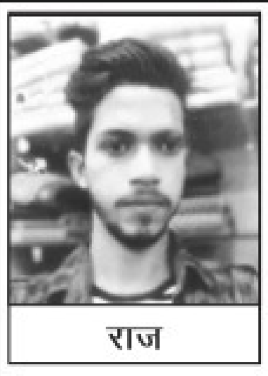

राज

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम **राज पिता मनोज वर्मा पता- मकान नं. ए-3/184, नन्द नगरी, दिल्ली** जो अपने घर नन्द नगरी से अपहृत है। इस संदर्भ में **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 163/19 दिनांक 07.04.2019 धारा 363 भा.द.स. के तहत** थाना नन्द नगरी, दिल्ली में दर्ज है।
अपहृत लड़के का ब्यौरा इस प्रकार हैः

नाम : राज **पिता का नाम** : श्री मनोज वर्मा **उम्र** : 17 साल, **कद** : 5 फीट 5 इंच **रंग** : गोरा **चेहरा** : लम्बा, **बनावट** : पतला, **पहनावा** : लाल और काले रंग का चेकदार शर्ट और काला लोअर और पैरों में सफेद स्पोर्टस जूता
अगर किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई जानकारी/सूचना मिले तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें।

वेबसाइट : http://cbi.nic.in
ई-मेल : cic@cbi.gov.in
फैक्स : 011-24368639
फोन : 011-24368638, 24368641

थानाध्यक्ष
नन्द नगरी, दिल्ली
फोन: 011-22137761
8750870730

DP/7009/NE/19

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **UCO BANK** (A Govt. of India Undertaking)
अंचल कार्यालय, रिकवरी विभाग, प्रथम तल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन: 011-49498269, 49498261

शुद्धि पत्र

कृपया 09.05.2019 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित 10.06.2019 को अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत) के विज्ञापन का संदर्भ लें। क्रम सं. 19 में आसफ अली रोड शाखा के मोईनुद्दीन सिदि्दकी खाता में सम्पत्ति के विवरण में एच नं. 3/198 की बजाय "एच नं.3/199, केवल दूसरा तल (छत के अधिकार के साथ) वसुन्धरा, सेक्टर-3, गाजियाबाद, उ0प्र0-201010" माप 430 वर्गफीट पढ़ा जाए। अन्य विवरण यथावत रहेंगे।

(प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक)

क्षेत्रीय निदेशक
उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 13 के मामले में
और
जेबीएम प्रोजैक्टस एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
पंजीकृत कार्यालय 601, हेमकुंट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली -110019
(CIN: U45200DL2008PTC178619)
..............याचिकाकर्ता

सूचना

ऊपर वर्णित नामक याचिकाकर्ता ने कंपनी का पंजीकृत कार्यालय रा.रा.क्षे. दिल्ली से गुजरात राज्य में स्थानानांतरित करने के लिये संगम ज्ञापन के उपबंध II में बदलाव करने के लिये सोमवार, 27 मई, 2019 को हुई असाधारण आम सभा में एक विशेष संकल्प पारित किया।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का बदलाव, जो कि क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र)/अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है, प्रचालनों के प्रबंधन के लिये अधिक सुविधाजनक और किफायती माना जाता है। इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के बाद, ज़रूरी याचिका क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष दायर की जायेगी। कोई भी व्यक्ति जिसका हित संगम ज्ञापन में प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित होने की संभावना है, वह हित की प्रकृति और याचिका के विरोध के आधार के साथ, यदि कोई है, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के इक्कीस दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), बी-2, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को सूचित कर सकता है, आपत्तियां, यदि कोई हैं, मूल रूप में ऊपर वर्णित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक प्रति के साथ उपर्युक्त क्षेत्रीय निदेशक को भेजी जानी चाहिये।

कृते जेबीएम प्रोजैक्ट्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
(विनय माहेश्वरी)
निदेशक

स्थानः गुरूग्राम, हरियाणा
दिनांक:27.05.2019

Bank of Baroda बैंक ऑफ़ बड़ौदा
जेडओएसएआरबी, 9वीं मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन
16, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001, भारत
फोन: +91 11 23448840, 23448841, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

ZOSARB/ND/2019/2072 — दिनांक: 24.05.2019

1. मैसर्स बांके बिहारी ट्रेडिंग कंपनी, IX-7198, महावीर गली, गांधी नगर, दिल्ली -110031
2. श्री नितिन अरोड़ा : एच -4 / 12, कृष्णा नगर, विजय चौक के पास, दिल्ली -110051

आपके खाते मेसर्स बांके बिहारी ट्रेडिंग कंपनी और उसके प्रोपराइटर श्री नितिन अरोड़ा को इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषणा

हम 31.12.2015 को नामित वाले खाते मेसर्स बांके बिहारी ट्रेडिंग कंपनी और इसके प्रोपराइटर श्री नितिन अरोड़ा को इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित करने के लिए अपनी वेबसाइट bankofbaroda.com को संदर्भित करते हैं।
इस निष्कर्ष के बाद कि कंपनी ऋणदाता को इसके भुगतान/पुनर्भुगतान को पूरा करने में असफल रही है और फंड का उपयोग कहीं और कर लिया है एवंम फंड को विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया गया है जिसके लिए वित्त लिया गया था, न ही अन्य संपत्तियों के रुप में यूनिट के साथ यह फंड उपलब्ध है, इन परिस्थितियों में, बैंक के इरादतन चूककर्ता पर कार्यकारी समिति (सीओई) द्वारा अपनी बैठक में कंपनी व इसके मालिक को 'इरादतन चूककर्ता' के रुप में घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है,
उपर्युक्त परिस्थितियों में, इरादतन चूककर्ता पर बैंक की समीक्षा समिति द्वारा अपनी बैठक में, कार्यकारी समिति के निर्णय को सुनिश्चित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
इस प्रकार नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद, आपकी फर्म और उसके प्रोपराइटर को इरादतन चूककर्ता घोषित करने का निर्णय लिया गया है।
यह आपकी जानकारी के लिए है।

हस्ता/-
मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, जेडओएसएआरबी, नई दिल्ली

दिनांक: 01.06.2019
स्थानः नई दिल्ली

ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
शाखा कार्यालय : न्यु रेलवे रोड़ गुरुग्राम
TEL : (0124)-2320806, 2328446
E-MAIL : bm0071@obc.co.in

ORIENTAL BANK OF COMMERCE
(A GOVT.OF INDIA UNDERTAKING)
Branch Office : New Railway Road, Gurugram
TEL : (0124)-2320806, 2328446
E-MAIL : bm0071@obc.co.in

Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules 2002
POSSESSION NOTICE
(For Immovable Property)

Whereas the undersigned being the authorized officer of the Oriental Bank of Commerce under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued **demand notice dated 10.12.2018** of B/o Retail Asset Group, Gurgaon calling upon the **SH. Mahavir Saini(A/c No. 00717015003861) B/O- New Railway Road, Gurgaon** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 836726.39** (Eight Lakh thirty six thousand seven hundred twenty six and thirty nine only) as on 30.11.2018 in Housing Loan Account (TL A/c) Within 60 days from the date of receipt of the said notice.
The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 9 of the said rule on this **28th Day of May of the year 2019.**
The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Oriental Bank of Commerce for an amount of **Rs. 836726.39. /-*** (Eight Lakh thirty six thousand seven hundred twenty six and thirty nine only) as on 30.11.2019 besides interest and other charges / expenses against each account.

Description of Immovable Property:
Primary-EQM of commercial shop No-6, on ground floor saket Commercial Complex, 56/9, New Railway Road Gurugram admeasuring 178sqft Gurgaon (Haryana), standing in the name of Sh. Mahavir Saini s/O Govind which is surrounded as East: Bhatnagar Hospital West: Gautam Welding Shop, north: New Railway Road, South : Subhash Nagar.
* Plus further interest and expenses thereon till the realization of full and final amount.

Date- 28-05-2019
Place-New Railway Road,Gurgaon

Authorized Officer
Oriental Bank of Commerce

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओ.ए.नं. 852/2018
बैंक ऑफ महाराष्ट्र — बनाम — श्री मनदीप सिंह एवं अन्य
आवेदक — प्रतिवादीगण

सेवा में: 1. मै. रुद्र बिल्डवेल होम्स प्रा.लि. (प्रति. सं. 03), पंजी. कार्यालयः डी-53, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020, साथ हीः ए-66, सेक्टर-63, नोएडा-201301

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने रु. 44,86,285/- (रुपये चौआलिस लाख छियासी हजार दो सौ पचासी मात्र) की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 10.7.2019 को 10.30 पूर्वा. में के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी। मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 3 मई, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से, रजिस्ट्रार के लिये

क्षेत्रीय निदेशक
उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 13 के मामले में
और
फरीदाबाद प्रैसवैल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
पंजीकृत कार्यालय 24, अशोका चैम्बर्स, 5-बी राजिंद्र पार्क, पूसा रोड,
नई दिल्ली -110060
(CIN: U74899DL1986PTC024546)
..............याचिकाकर्ता

सूचना

ऊपर वर्णित नामक याचिकाकर्ता ने कंपनी का पंजीकृत कार्यालय रा.रा.क्षे. दिल्ली से गुजरात राज्य में स्थानानांतरित करने के लिये संगम ज्ञापन के उपबंध II में बदलाव करने के लिये सोमवार, 27 मई, 2019 को हुई असाधारण आम सभा में एक विशेष संकल्प पारित किया।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का बदलाव, जो कि क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र)/अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है, प्रचालनों के प्रबंधन के लिये अधिक सुविधाजनक और किफायती माना जाता है। इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के बाद, ज़रूरी याचिका क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष दायर की जायेगी। कोई भी व्यक्ति जिसका हित संगम ज्ञापन में प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित होने की संभावना है, वह हित की प्रकृति और याचिका के विरोध के आधार के साथ, यदि कोई है, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के इक्कीस दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), बी-2, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को सूचित कर सकता है, आपत्तियां, यदि कोई हैं, मूल रूप में ऊपर वर्णित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक प्रति के साथ उपर्युक्त क्षेत्रीय निदेशक को भेजी जानी चाहिये।

कृते फरीदाबाद प्रैसवैल प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
(राजेश गोयनका)
निदेशक

स्थानः गुरूग्राम, हरियाणा
दिनांक:27.05.2019

एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड
CIN : L27109DL1995PLC338407
पंजीकृत व कारपोरेट कार्यालय : बानी कारपोरेट वन, सूट नं0 308, तृतीय तल, प्लॉट नं0 5, कॉमर्शियल सेंटर, जसोला, नई दिल्ली- 110025
फोनः +91-11-48593300, फैक्स : +91-11-48593320, www.mblinfra.com, ई-मेलः cs@mblinfra.com

31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही व वर्ष हेतु स्टैण्डएलोन एवं समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का विवरण

(₹ लाख में प्रति शेयर डाटा उपार्जन छोड़कर)

क्रम सं0	विवरण	स्टैण्डएलोन			समेकित		
		समाप्त तिमाही 31.03.2019 (अंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2019 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2018 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2019 (अंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2019 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2018 (अंकेक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	2,446	22,832	26,557	3,390	24,099	57,670
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट और/ अथवा असामान्य मद पूर्व)	(1,406)	148	(7,380)	(2,043)	(2,183)	(15,176)
3	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट और/अथवा असामान्य मद उपरांत)	(29,777)	(28,223)	32,833	(30,414)	(30,554)	1,208
4	कर उपरांत अवधि हेतु शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट और/अथवा असामान्य मद उपरांत)	(29,535)	(24,124)	30,185	(30,212)	(26,387)	1,909
5	अवधि हेतु कुल समग्र आय [अवधि (कर उपरांत) तथा अन्य समग्र आय (कर उपरांत) हेतु लाभ/(हानि) शामिल]	(29,570)	(24,115)	30,240	(30,247)	(26,378)	1,969
6	इक्विटी शेयर पूंजी	10,475.46	10,475.46	4,145.46	10,475.46	10,475.46	4,145.46
7	आरक्षित	--	--	--	--	--	--
8	प्रति शेयर उपार्जन (असामान्य मद पूर्व/ उपरांत) (रु. 10/- प्रत्येक)						
	(I) मूल	(1.37)	4.87	(24.06)	(34.60)	2.28	(34.77)
	(II) द्रवित	(33.83)	(27.60)	72.95	(34.56)	(30.19)	4.75

टिप्पणियां :

1. उपर्युक्त विवरण सेबी (सूचीयन देयताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को दाखिल किए गए 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष हेतु स्टैण्डएलोन एवं समेकित वित्तीय परिणाम का सारांश है। विस्तृत लेखापरीक्षित स्टैण्डएलोन एवं समेकित वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट www.mblinfra.com/financial results.php पर उपलब्ध है।
2. उपर्युक्त वित्तीय परिणाम, जो सेबी (सूचीयन देयताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के नियम 33 के साथ पठित सेबी परिपत्र दिनांक 5 जुलाई 2016 के अनुरूप तैयार किए गए हैं, कि समीक्षा अंकेक्षण कमेटी के सदस्यों की ओर से की गई है तथा तदोपरांत 30 मई, 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के सदस्यों की ओर से उसका अनुमोदन एवं अभिलेखन किया गया है। वैधानिक अंकेक्षकों की ओर से उपर्युक्त परिणाम का अंकेक्षण किया गया है।
3. पूर्ववर्ती अवधि/ तिमाही के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्वर्गीकृत/ पुनर्समूहित/ रद्दोबदल किया गया है।

वास्ते **एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड**
अंजनी कुमार लाखोटिया
चेयरमैन व प्रबंध निदेशक
(DIN 00357695)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2019